न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2019 (उदयपुर आर्डर)

1. गोता पिता स्वर्गीय देवा जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भागु पत्नी वगता जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती लच्छु पत्नी भैरूलाल जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. रता पिता दल्ला जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सवा पिता स्वर्गीय नाथू जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. पेमा पिता स्वर्गीय लाला जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. जीवा पिता स्वर्गीय लाला जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. पूंजा पिता स्वर्गीय लाला जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. उदयलाल पिता स्वर्गीय लाला जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. भेरा पिता स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी भूतिया (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 15.01.2019 प्र०सं० 16/18

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 से 6

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 7

———::———

निर्णय दिनांक 12–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूतिया में आराजी नंबर 139 रकबा 0.0350 व आराजी नंबर 140 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 93 रकबा 8 बिस्वा हैं। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर विवादित भूमियां साबिक सेटलमेन्ट में माना, पीथा पिता मेगा जी डांगी के सहखातेदारी एवं आधिपत्य की थी एवं दोनों के मध्य आपसी विभाजन होकर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज थे। किन्तु सेटलमेन्ट के बाद विवादित भूमियां विपक्षी संख्या 1 चतरा, भीमा के नाम गलत दर्ज कर दी गयी तथा गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि रहन, बैह, बक्षीय या हस्तान्तरित नहीं करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की

दखलन्दाजी नहीं करें तथा मौके पर रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 15—01—2019 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/ विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा दिनांक 05—03—2019 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि आराजी संख्या 139 व 140 पर अपीलान्टगण का 70 से भी अधिक वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा कब्जे के अभाव में रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है वह विधि प्रावधानों के विपरीत है। दिनांक 17—01—1945 को विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्टगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा वकता को विक्रय की गयी, तत्पश्चात वकता द्वारा दिनांक 23—01—1945 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमियां अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारियों को विक्रय की जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया तथा जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में विवादित भूमियां अपीलान्टगण के खाते में दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 14—04—2015 पेज 210, आर.आर.डी. 14—05—2017 पेज 286, आर. आर.टी. 2013 (1) पेज 123, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 560, आर.

आर.टी. 2008 (1) पेज 301 एवं 2015 एस.सी.सी. सुप्रिम कोर्ट पेज 695 प्रस्तुत की।

वहीं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1084 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कराया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि विपक्षी स्वयं ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि राजस्व रेकार्ड में पीथा, माना पिता मेगा का 1/4 हिस्सा दर्ज था एवं विक्रय पत्र दिनांक 23—01—1945 अनुसार वक्ता पिता अमरा डांगी द्वारा भूमि का विक्रय किया है। विक्रय पत्र अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा अपनी भूमि का विक्रय किया जाना साबित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत है। वैसे में अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं, जो विधि सम्मत प्रकट होता है, क्योंकि पक्षकारों के मध्य मूल वाद अभी विचाराधीन है। यदि अपीलान्ट के किसी प्रकार के हक व अधिकार उक्त भूमि में बनते हैं तो इसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य आदि आने के बाद ही संभव है, तब तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना हम उचित समझते हैं। इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15—01—2019 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर